राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

पीठासीन अधिकारी – सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर– 160 / 2021 GCMS No. 2021/356

1. कमला देवी पत्नी ओमप्रकाश उम्र 57 साल
2. विजेन्द्र पुत्र ओमप्रकाश उम्रग 39 साल
3. अनील कुमार पुत्र ओमप्रकाश उम्र 36 साल समस्त जाति जाट निवासीगण भैसावता कलां तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0

.... वादीगण

ब–ना–म

1. कमला पुत्री हनुमानाराम पत्नी हजारी लाल जाति जाट निवासी घड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं, राज0
2. वेदकौर पुत्री हनुमानाराम पत्नी हेतराम जाति जाट निवासी किशोरपुरा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं, राज0
3. शांति पुत्री हनुमानाराम पत्नी हंसराम जाति जाट निवासी किशोरपुरा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं, राज0
4. सुमित्रा पुत्री हनुमानाराम पत्नी रणधीर जाति जाट निवासी किशोरपुरा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं, राज0
5. हरिसिंह पुत्र हनुमानाराम जाति जाट निवासीगण भैसावता कलां तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
6. कैलाश पुत्र कालुराम जाति जाट निवासीगण भैसावता कलां तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
7. नानची पत्नी कालुराम जाति जाट निवासीगण भैसावता कलां तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0

.........प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुन्झुनूं (राज.)

दावा– घोषणात्मक

–:निर्णय:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.09.22 12:32:28 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक :01–09–2023

वादीगण की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम भैसावत कलां तहसील बुहाना में स्थित भूमि हाल खाता संख्या 73 के खसरा नं. [illegible] रकबा 1.96 है., ख.नं. 48 रकबा 1.01 है. कुल किता 2 कुल रकबा 2.97 है. के खातेदार वादीगण के हकपूर्वाधिकारी ओमप्रकाश पुत्र हनुमानाराम तथा वादी सं. 1 की सास व वादी सं. 2 व 3 की दादी व प्रतिवादी सं. 1 लगा. 5 की माता माली पत्नी हनुमानाराम तथा प्रतिवादी

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

सं. 1 लगा. 7 एवं वादीगण के हकपूर्वाधिकारी फूलाराम पुत्र चन्दीया के नाम दर्ज रिकार्ड जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 में दर्ज है। स्व. चन्दिया की खातेदारी भूमि में हनुमानाराम का 1/4 हिस्सा कालुराम का 1/4 हिस्सा फुलाराम का 1/4 हिस्सा, सरदाराराम का 1/4 हिस्सा हुआ जिसमें हनुमानाराम के वारिशान ने वादीगण का हकपूर्वाधिकारी ओमप्रकाश तथा प्रतिवादीसं. 1 लगा. 5 है माली पत्नी हनुमानाराम की मृत्यु हो चुकी है तथा ओमप्रकाश पुत्र हनुमानाराम की भी मृत्यु हो चुकी है, सरदाराराम, फुलाराम पुत्रान चन्दिया का भी देहान्त हो चुका है। फुलाराम पुत्र चन्दिया ने अपने पिता से मिला 1/4 सम्पूर्ण हिस्से का दान पत्र अपने भाई के छोटे लड़के हरिसिंह पुत्र हनुमानाराम के पक्ष में कर दिया। हरिसिंह पुत्र हनुमानाराम का हिस्सा 1/4 फुलाराम से प्राप्त हुआ तथा 1/21 हिस्सा हनुमानाराम से प्राप्त हुआ। सरदाराराम पुत्र चन्दिया का हिस्सा 1/4 नाऔलाद फौत होने से उसका हिस्सा हनुमानाराम 1/12, फुलाराम 1/12, कालुराम 1/12 दर्ज हो गया। फुलाराम पुत्र चन्दिया भी फौत हो चुका है जिसका हिस्सा 1/12 में से वादीगण तथा प्रतिवादी सं. 1 लगा. 5 को 1/24 हिस्सा प्रतिवादी सं. 6 व 7 को 1/24 हिस्सा प्राप्त होगा। प्रतिवादी सं. 1 लगा. 5 तथा वादीगण के हकपूर्वाधिकारी ओमप्रकाश की माता माली पत्नी हनुमानाराम ने वादीगण के हकपूर्वाधिकारी ओमप्रकाश के पक्ष में दिनांक 24.10.2016 को हकत्याग करवा दिया जिसका नामांतरकण दर्ज नहीं हुआ है। वाद वर्णित भूमि के खाता सं. 73 के ख.नं. 38 रकबा 1.96 है., ख.नं. 48 रकबा 1.01 है. कुल किता 2 कुल रकबा 2.97 है. में वादीगण का हिस्सा ओमप्रकाश के पक्ष में हुए हकत्याग से 6/21 भाग वादीगण के हकपूर्वाधिकारी ओमप्रकाश से 1/21 तथा फुलाराम के हिस्से से 1/168 कुल 57/168 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 1 से 4 का प्रत्येक का 1/168 हिस्सा प्रतिवादी सं. 5 का 43/168 हिस्सा प्रतिवादी सं. 6 का 9/48 हिस्सा प्रतिवादी सं. 7 का 9/48 हिस्सा बनता है। वादीगण को हकत्याग के आधार पर वाद वर्णित भूमि अपने नाम करवाने के अधिकारी है इसलिए यह वाद घोषणात्मक पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाके ग्राम भैसावता कलां तहसील बुहाना स्थित भूमि के खाता सं. 73 के ख.नं. 38 रकबा 1.96 है., ख.नं. 48 रकबा 1.01 है. कुल किता 2 कुल रकबा 2.97 है. में वादीगण का हिस्सा ओमप्रकाश के पक्ष में हुए हकत्याग से 6/21 भाग वादीगण के हकपूर्वाधिकारी ओमप्रकाश से 1/21 तथा फुलाराम के हिस्से से 1/168 कुल 57/168 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 1 से 4 का प्रत्येक का 1/168 हिस्सा प्रतिवादी सं. 5 का 43/168 हिस्सा प्रतिवादी सं. 6 का 9/48 हिस्सा प्रतिवादी सं. 7 का 9/48 हिस्सा दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 5 की ओर से इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि हकत्याग की भूमि वादीगण के दर्ज करदी जावे तथा प्रतिवादी सं. 1 से 4 प्रत्येक का हिस्सा 1/168 भाग तथा प्रतिवादी सं. का 43/168 भाग का काश्तकार खातेदार घोषित किया जावे। शेष प्रतिवादी सं. 6 से 8 बावजूद सम्यक् सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्ध एक[illegible]र्यवाही अमल में लाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.09.22 12:32:28 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण की ओर से [illegible] नकल जमाबन्दी संवत् 2075–2078 खाता सं. 73 ग्राम भैसावता कलां (प्रदर्श–1), नकल हक त्याग दिनांक 24.10.2016 (प्रदर्श–2), वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत, भैसावता खुर्द (प्रदर्श–3) पेश किये

उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झनूं (राज.)

तथा मौखिक साक्ष्य में शपथ पत्र विजेन्द्र पुत्र ओमप्रकाश व कमला पत्नी ओमप्रकाश भी पेश किये गये।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं वाद पत्र के अभिवचनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध हक त्याग पत्र दिनांक 24.10.2016 (प्रदर्श–2) के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम भैसावता कलां स्थित खसरा नंबर 38 रकबा 1.96 है., ख.नं. 48 रकबा 1.01 है. किता 2 कुल रकबा 2.97 है. में हिस्सा 6/21 प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 5 ने वादीगण के हकपूर्वाधिकारी ओमप्रकाश के हक में हक समर्पण कर दिया था जिसकी पुष्टि प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 5 ने अपने इकबाली जवाब दावा में भी की है। इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन के अनुसार वाद वादीगण स्वीकार कर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

न्यायालय वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः ग्राम भैसावता कलां तहसील बुहाना स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2075–2078 के खाता सं. 73 में दर्ज खसरा नंबर 38, खसरा नम्बर 48 कुल किता 2 कुल रकबा 2.97 है. में वादीगण को 49/144 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/144 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/144 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/144 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 1/144 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का 37/144 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 का 3/16 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 का 3/16 हिस्सा का खातेदार कास्तकार धोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त वादग्रस्त भूमि में से माली पत्नी हनुमानाराम (फौत होने पर), फुलाराम पुत्र चन्दिया (नाऔलाद अविवाहित फौत होने पर) ओमप्रकाश पुत्र हनुमानाराम (फौत होने पर) काम हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

निर्णय आज दिनांक 01-09-23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.09.22 12:32:28 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अंतिम डिकी
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलैक्टर बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

पीठासीन अधिकारी :–

सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद स. 160/2021

जीसीएमएस नम्बर :– 2021/356

कमला आदि **बनाम** कमला आदि

दावा – घोषणात्मक

वादीगण की ओर से श्री **राजेश यादव एडवोकेट** की उपस्थिति एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की ओर से श्री अनुपसिंह की उपस्थिति में तथा शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 01-09-23 को **श्री सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता हैं और अंतिम डिकी दी जाती हैं कि :–

" न्यायालय वाद वादीगण डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः ग्राम भैसावता कलां तहसील बुहाना स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2075–2078 के खाता सं. 73 में दर्ज खसरा नंबर 38, खसरा नम्बर 48 कुल किता 2 कुल रकबा 2.97 है. में वादीगण को 49/144 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/144 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/144 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/144 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 1/144 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का 37/144 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 का 3/16 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 का 3/16 हिस्सा का खातेदार कास्तकार धोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त वादग्रस्त भूमि में से माली पत्नी हनुमानाराम (फौत होने पर) , फुलाराम पुत्र चन्दिया (नाऔलाद अविवाहित फौत होने पर) ओमप्रकाश पुत्र हनुमानाराम (फौत होने पर) काम नाम हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 01-09-23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलैक्टर, बुहाना

(सुनील कुमार चौहान) उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.09.22 12:32:28 IST
Reason: SelfAttested